

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

राजस्व/12-12()18/228

दिनांक : 25 /02/2019

उपखण्ड अधिकारी,
चित्तौड़गढ़

विषय : अमृत पेयजल योजना (शहरी जलयोजना चित्तौड़गढ़) के अन्तर्गत 0.0160 हैक्टेयर वन भूमि का एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 27.08.2018 अमृत पेयजल योजना (शहरी जलयोजना चित्तौड़गढ़) के अन्तर्गत ग्राम किले की आ.सं. 1176 जो कि वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है, में 200 मि.मी. व्यास की पाईप लाईन डाली जाने के लिये 0.0160 है. वन भूमि के लिये एफ.आर.ए. पत्र जारी किया जाने का निवेदन किया है।

अतः उक्त पत्र मय संलग्नकों की छाया प्रति आपको प्रेषित की जा रही है। पत्रों एवं राजस्व रिकार्ड के संबंध में जांच कर वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी किया जाने में किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं है, के संबंध में जांच कर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की अभिशंषा के साथ प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा जावे।

अन : उक्तानुसार


प्रभारी अधिकारी, राजस्व
(अति. कलक्टर, प्रशासन)
चित्तौड़गढ़